International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2023; 5(3): 39-42
Received: 07-02-2023
Accepted: 27-02-2023

मुकेश कुमार लोछब
Ph.D. शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
मुकेश कुमार लोछब
Ph.D. शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान, भारत

भारत में स्थानीय स्वशासन: पंचायती राज

मुकेश कुमार लोछब

सार
भारत की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का विशेष महत्व है। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तब है जब शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय से ही स्थानीय शासन के महत्व को समझा जाने लगा था। प्रशासन की इकाई जिला स्थापित की गई थी एवं इसकी प्रशासन व्यवस्था जिलाधिकारी के अधीन थी। वर्ष 1882 में लार्ड रिपन के शासन के कार्यकाल में स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों को सम्मिलित करने के कुछ प्रयास किए गए एवं जिला बोर्डों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा महत्व दिए जाने एवं ब्रिटिश शासन द्वारा लोगों को अपने प्रशासन में सम्मिलित करने के लिए 1930 एवं 1940 में अनेक प्रांतों में पंचायती राज संबंधी कानून बनाए गए। गौरतलब है कि संविधान के प्रथम प्रारूप में पंचायती राज व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। गांधी जी के दबाव के परिणामस्वरूप इसे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया।

स्थानीय शासन द्वारा स्वशासन की वुवस्था को स्थानीय स्वायत्त शासन कहते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन के दो मूल कारण हैं- पहला, यह व्यवस्था शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाती है; दूसरा, स्थानीय लोगों की भागीदारी सक्षम बनती है, साथ ही लोगों को शासन की कला का ज्ञान होता है। स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसके समाधान को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। अतः स्थानीय स्व-शासन का तात्पर्य है- स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना और उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना, जिससे समस्या का निदान भी हो और लोकतांत्रिक स्वरूप की निचले स्तर तक स्वस्थ व्यवस्था भी स्थापित हो।

कुटशब्दः पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्

प्रस्तावना
भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में भारतीय प्रशासनिक निकाय शामिल हैं, जिनका प्रबंधन केवल क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए किया जाता है। भारत की अधिकतर आबादी गांवों में रहती है और लोगों के कल्याण का तात्पर्य भारतीय गांवों के सर्वांगीण सुधार से है। इस प्रकार ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की गुणवत्ता भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन गांवों में विकास लाने में बहुत प्रभावी रहा है।

भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का इतिहास
सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। लोकतांत्रिक समाजवाद तब तक असंभव है जब तक कि किसी देश की सामाजिक संरचना, प्रशासनिक तंत्र और आर्थिक संगठन सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित न हों। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में शुरू की गई ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं को पुनर्गठित और पुनर्जीवित किया गया। एक कल्याणकारी राज्य की नींव स्थानीय मामलों के प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी से उनके सामान्य हितों को प्रभावित करने से मजबूत हुई थी।

पहले, स्थानीय स्वायत्त शासन में स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें स्थानीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरे, स्थानीय संस्थाएं लोगों की राजनितिक समझ को परिपक्व बनाती हैं अर्थात लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और अपने आस-पास हो रही घटनाओं पर ध्यान देते हैं। तीसरे, सत्ता का विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब स्थानीय संस्थाएं निचले स्तर तक विद्यमान हों। क्योंकि केंद्र या राज्य सरकार के लिए सुदूर गांव की समस्या का तत्काल हल निकालना संभव नहीं होता है। अतः स्थानीय समस्या का निदान वहीं के लोगों द्वारा सुगमतापूर्वक किया

जा सकता है। चौथे एवं सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि, यदि स्थानीय संस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित हैं तो स्थानीय लोगों में राजनीतिक चेतना तथा समझ का विकास देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप को मजबूत बनाता है।

संवैधानिक प्रयास

ब्रिटिश शासन के समय से ही पंचायतें स्थानीय शासन के रूप में कार्य करती रही हैं। परंतु यह कार्य सरकारी नियंत्रण में होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं द्वारा स्थानीय स्वशासन का कार्य किया जाता था। स्वतंत्र भारत में इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 ने इसकी पुष्टि इस प्रकार से की है- राज्य, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। परंतु इस प्रयास में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लोकतांत्रिक स्वरूप पर ध्यान नहीं दिया गया। इन कमियों को राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में उजागर किया गया और पुनः इनके संवैधानिक समाधान के लिए प्रयास किया गया।

भारतीय संसद द्वारा पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय संविधान में 73वां तथा 74वां संशोधन 1992 में किया गया। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल, 1993 से तथा 74वां संशोधन अधिनियम 1 जून, 1993 से लागू हो गया है। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है।

पंचायत राज: भारत गांवों का देश है। गांवों की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति एवं प्रगति निर्भर करती है। महात्मा गांधी के अनुसार, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माता भी इस तथ्य से भली-भांति परिचित थे, अतः देश के विकास एवं उन्नति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद-40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। वस्तुतः भारतीय लोकतंत्र इस आधारभूत अवधारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक-से-अधिक शासन सम्बन्धी कार्यों में हाथ बंटाए तथा स्वयं पर राज्य करने का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। पंचायतें भारत के राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ हैं। देश के राजनीतिक भविष्य एवं भावी राजनीतिक चाल का निर्धारण संघीय व्यवस्था में बैठे बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ की अपेक्षा, विभिन्न राज्यों के ग्रामीण अंचलों में विद्यमान पंचायती राज संस्थाएं ही करती हैं।

बलवंत राय मेहता समिति

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरम्भ 1952 में हुआ था। फलस्वरूप, आम जनता इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ नहीं पाई। इसी समस्या के निदान के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति गठित की गई और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रस्तुत की। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित त्रिस्तरीय स्वरूप वाली पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। उन्होंने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था इस प्रकार होगी- ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। दूसरे शब्दों में, परिवारों के समूह पंचायत, पंचायतों के समूह प्रखड तथा प्रखंडों के समूह जिला परिषद की स्थापना करते हैं। अंततः राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को 12 जनवरी, 1958 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस समिति ने, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जिससे स्थानीय शासन में निचले स्तर के लोगों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके और जिसका परिणाम सामुदायिक विकास की सफलता होगी। समिति ने राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया और वित्तीय संकट, जो स्थानीय संस्थाओं को स्थायी संकट में डाले रहता है, का निवारण राज्य द्वारा ही संभव है। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रयोग के विचार से अगस्त, 1958 में कुछ भागों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया। इसकी सफलता के फलस्वरूप 2 अक्टूबर, 1959 को स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का सर्वप्रथम औपचारिक शुभारंभ किया।

अशोक मेहता समिति

पंचायती राज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया- पहला, निचले स्तर पर-मंडल पंचायत, तथा; दूसरा, जिला-स्तर पर-जिला परिषद। परंतु, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण लागू नहीं किया जा सका।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में एक समिति का गठन किया । इसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना था। इस समिति ने ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने तथा पंचायती राज के नियमित चुनाव कराने पर बल दिया। इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की भी सिफारिश की।

पंचायती राज की नई प्रणाली

संविधान के अनुच्छेद 40 के रूप में एक निदेश समाविष्ट किया गया- राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। लेकिन अनुच्छेद 40 में इस निर्देश के होते हुए भी पूरे देश में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र की इकाई के रूप में इन स्थानीय इकाइयों के लिए निर्वाचन कराए जाएं। इस दृष्टि से पंचायत को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया है। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची-ग्यारहवीं अनुसूची, जोड़ी गयी है।

पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली

इस परिप्रेक्ष्य में संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 29 विषय रखे गये हैं। इन 29 विषयों में सम्मिलित हैं:

- कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी सम्मिलित है;
- भूमिसुधार,भू-सुधार का क्रियान्वयन, भूमि संयोजन एवं मृदा सरक्षण,
- लघु सिंचाई, जल-प्रबंधन एवं वाटरशेड विकास;
- पशुपालन, डेयरी एवं कुक्कुट पालन,

- मत्स्यन;
- सामाजिक वानिकी एवं उद्यान वानिकी;
- लघु वन्य उपज;
- लघु उद्योग, जिसमें विद्युत का वितरण भी सम्मिलित है;
- ग्रामीण आवास;
- खादी, ग्रामीण एवं सूती कपड़ा उद्योग;
- पेयजल;
- ईंधन एवं पशुचारा;
- ग्रामीण विद्युतीकरण;
- सड़कों, पुलों, घाटों, जलमार्गों एवं संचार के अन्य साधनों का विकास;
- गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत;
- निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम;
- शिक्षा, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा भी सम्मिलित है;
- तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा;
- लेखा जांच एवं अनौपचारिक शिक्षा;
- वाचनालय;
- सांस्कृतिक गतिविधियां, एवं;
- बाजार एवं हाट
- स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं।
- परिवारकल्याण
- महिला और बाल विकास
- समाजकल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।
- दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण

भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के प्रकार

ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों की देखभाल के लिए भारत में तीन प्रकार के ग्रामीण स्थानीय स्वशासी संस्थान बनाए गए हैं। ये संस्थाएं हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत गांवों और छोटे शहरों के स्तर पर एक स्थानीय सरकार है। ग्राम पंचायत भारत में पंचायती व्यवस्था की नींव है। इसे दो या दो से अधिक गाँवों के समूह में भी बनाया जा सकता है। 'सरपंच' या 'प्रधान' ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य सरपंच की निगरानी में गांवों की बुनियादी सुविधाओं की देखभाल करना है। ग्राम पंचायत अपनी आय गांवों के विभिन्न खुले स्थानों और विभिन्न अन्य संपत्तियों पर लगाए गए करों से अर्जित करती है।

पंचायत समिति

पंचायत समिति ने पूर्व अंचलिक परिषद का स्थान लिया है और नई व्यवस्था के तहत यह दूसरी श्रेणी है। प्रत्येक जिले को कई ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, जिसमें कई पड़ोसी गांव शामिल हैं। प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक पंचायत समिति होती है, जिसमें खंड विकास अधिकारी (BDO) पदेन कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

जिला परिषद

जिला परिषद एक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन की देखभाल करती है। जिला परिषद का कार्यालय जिला मुख्यालय में स्थित है। जिला परिषद के पदेन सचिव जिला स्तर पर मौजूद सामान्य प्रशासन विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। इस शासी निकाय का मुख्य कार्य ग्रामीण लोगों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना और गाँवों में विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करना है।

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंग के रूप में प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, जिसके सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने वाले मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। सरकार महिलाओं और अनुसूचित जातियों में से सदस्यों को भी नामित कर सकती है।

प्रधान और उनकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त एक सचिव पंचायत के नियमित कार्य को देखता है और प्रधान के माध्यम से पंचायत के प्रति उत्तरदायी होता है। पंचायत के प्राथमिक कार्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य का संरक्षण, महामारी की बीमारियों की रोकथाम, पेयजल की आपूर्ति, सड़कों, पुलों और टैंकों का रखरखाव, उसके धन का प्रबंधन, कर लगाना और उसका संग्रह, नया पंचायत का गठन, आदि शामिल हैं।

भारत में राज्य सरकारें इसे अन्य कार्य भी सौंप सकती हैं, जैसे प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा, धर्मार्थ औषधालय और स्वास्थ्य केंद्र, नौका सेवाओं की व्यवस्था, सिंचाई, अधिक भोजन अभियान विकसित करना, शरणार्थियों का पुनर्वास वृक्षारोपण, सहकारी पंखे लगाना, मवेशियों का सुधार, पुस्तकालयों और वाचनालय की स्थापना, नलकूपों का डूबना और तालाबों की खुदाई, कुटीर उद्योगों का विकास, खुले बाजार, चोरी और डकैती की रोकथाम आदि। यह घरों और जमीनों, पेशों और व्यापार पर दरें और कर लगा सकता है। नया पंचायत से मुकदमेबाजी पर शुल्क, जलापूर्ति, सड़कों की रोशनी की वसूली की जा सकती है। इसके द्वारा संरक्षण कर भी लगाया जा सकता है।

पंचायत को अपनी आय स्कूलों, औषधालयों और अपनी संपत्तियों से भी मिलती है। इसकी आय को पंचायत समिति, जिला परिषद और सरकारी अनुदानों से भी पूरा किया जा सकता है। यह सरकार से उधार भी ले सकता है। ग्राम पंचायत सरकार की अनुमति से न्यायालय नई पंचायत का गठन कर सकती है। अदालत का गठन पांच विचारकों द्वारा किया जाता है जो ग्राम पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। इसके सत्रों की अध्यक्षता करने के लिए एक प्रधान विचारक को इसके सदस्यों में से चुना जाता है।

निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक बनाने तथा प्रोत्साहित करने हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम सभा को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए तथा उसकी कार्यवाही का संचालन जन-भावनाओं के अनुसार किया जाए। ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्राम सभा में विचार-विमर्श होना चाहिए। ग्राम सभा द्वारा विचार किए जाने योग्य विषयों के अंतर्गत पंचायत का बजट, पंचायत के कार्यों का विवरण, योजनाओं की प्रगति, ऋण एवं अनुदानों का उपयोग, स्कुल एवं सहकारी सहकारी

समितियों किव्व्यवस्था, लेखा-परिक्षण की रिपोर्ट, आदि सम्मिलित किए जाने चाहिए।

- पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के पास अपने स्वयं के साधन विकसित किए जाने चाहिए ताकि वे अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करके अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विवेकानुसार कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को प्रदान किए जाने वाले अनुदानों में वृद्धि की जानी चाहिए। राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को ब्याजरहित भारी ऋण देकर स्वयं के लाभदायक व्यवसाय चलाने हेतु अनुप्रेरित किया जाना चाहिए। कर वसूल करने वाली मशीनरी को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन नियत समय पर सम्पन्न कराए जाने चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालिका अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।
- नियम एवं कार्यवाहियां सुगम बनाई जानी चाहिए। नियम इस प्रकार के होने चाहिए जिन्हें साधारण व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ सके।
- पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तथा इन संस्थाओं के चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर होने चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं को अकारण ही समयावधि से पूर्व ही भंग करने की राज्य सरकारों की प्रवृत्ति से बचाना चाहिए।
- पुलिस एवं राजस्व सेवाओं का सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- साधारण जनता की समस्याओं के निवारणार्थ पंचायतों की अधिकार एवं साधन प्रदान किए जाने चाहिए। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में लोगों की अधिकाधिक समस्याएं लाई जानी चाहिए। ताकि लोग अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें तथा समस्याओं का शीघ्र समाधान प्राप्त कर सकें।
- प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर मितव्ययता बरतनी चाहिए।
- जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कर्मचारियों में अनुशासन स्थापित करने तथा उनसे काम लेने हेतु प्रभावपूर्ण शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसके ठीक ऊपर के उस अधिकारी द्वारा लिखी जानी चाहिए, जिसके अधीन वे कार्य कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- जिला स्तर के अधिकारियों को समूहभाव अर्थात् टीम-भावना के साथ कार्यकरना चाहिए। उनका प्रमुख दायित्व जिला परिषद,पंचायत सरकारी नीतियों एवं निर्देशों के अनुसार तकनीकी दृष्टि से सुव्यवथित योजनाएं बनाने तथा उनकी क्रियान्विति में सहायता प्रदान करना है।
- जिला परिषद को सौंपे जा सकने योग्य कार्य एवं परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद को सौंप दिए जाने चाहिए। पंचायत समितियों से वे परियोजनाएं वापिस ले लेनी चाहिए जो जिला परिषद स्तर पर अधिक कुशलतापूर्वक क्रियान्वित की जा सकती हैं।

सन्दर्भ

1. शर्मा, हरीशचन्द्र: भारत में राज्य प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर 2018
2. सिंह चन्द्रमौली शर्मा एण्ड शर्मा गोयल: भारत में राज्य प्रशासन, बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2017
3. डॉ. शर्मा, अशोक: भारत में स्थानीय प्रशासन, बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2019
4. शर्मा, रविन्द्र: ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, बैल पब्लिकेशन्स, जयपुर 2015
5. मेहता, एस.सी. अमरेश्वर एण्ड प्रकाश अवस्थी: राजस्थान में पंचायती राज लोक प्रशासन एवं प्रबंध, भारतीय प्रशासन, आगरा, 2016
6. जैन, एस.सी. ग्रामीण विकास की परिकल्पना में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका, 2016
7. डॉ. फडिया बी. एल. डॉ. फडिया कुलदीप :"उच्चतर लोक प्रशासन", साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2014
8. भनोत, डॉ. शिवकुमार ''राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था'', साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2015